रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1453] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2016/ज्येष्ठ 19, 1938
No. 1453] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2016/ JYAISTHA 19 , 1938

गृह मंत्रालय
(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

का. आ. 2052(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2152(अ) के तहत न्यायिक आयुक्त, रांची के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा- 11 की उप धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य था;

और जबकि, श्री अनंत विजय सिंह, जिन्हें दिनांक 17 जून, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 17 जून, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1604(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्नयन हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 17 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1604 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, झारखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री नवनीत कुमार, न्यायिक आयुक्त, रांची को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2016

S.O. 2052(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2152(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of Judicial Commissioner, Ranchi as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having jurisdiction throughout the State of Jharkhand;

And whereas, Shri Anant Vijay Singh, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1604(E), dated the 17th June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th June, 2015, has been elevated as High Court Judge;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1604(E) dated the 17th June, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jharkhand, hereby appoints Shri Navneet Kumar, Judicial Commissioner, Ranchi as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

का. आ. 2053(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के राजपत्र, असाधारण,भाग-, खण्ड-, उप-खण्ड(ii) में प्रकाशित दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3160(अ) के तहत जगदलपुर के प्रथम अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयाजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका न्याय क्षेत्राकार छत्तीसगढ का नागरिक जिला उत्तर, बस्तर, कांकेर, जगदलपुर, में बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंत्तेवाडा) तथा कोंडागांव होगा ;

और जबकि, श्री शैलेश कुमार केटरप, जिनको दिनांक 24 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 24 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 3160(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानानंतरण हो गया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (6) एवं (9) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 24 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3160 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री संजीव कुमार टमक, प्रथम अतिरिकत सत्र न्यायाधीश जगदलपुर को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता हेतु एतद्द्वारा, नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2016

S.O. 2053(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 3160(E), dated the 24th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th November, 2015, notified the Court of 1st Additional District and Sessions Judge at Jagdalpur as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction over Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon of Chattisgarh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Shailesh Kumar Ketarap, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 3160(E), dated the 24th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th November, 2015, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 3160(E), dated the 24th November, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chattisgarh, hereby appoints Shri Sanjeev Kumar Tamak, 1st Additional Sessions Judge, Jagdalpur as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

का. आ. 2054(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2154 (अ) के तहत मोहाली स्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण पंजाब राज्य था;

और जबकि, श्री परमिंदर पाल सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, मोहाली, जिन्हें दिनांक 08 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 08 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 2080(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 08 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2080(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री तरसेम मंगला, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, मोहाली को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2016

S.O. 2054(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2154(E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Mohali as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Punjab for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Parminder Pal Singh, Additional Sessions Judge, Mohali, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 2080(E), dated the 8th July, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th July, 2013, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 2080(E), dated the 8th July, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana, hereby appoints Shri Tarsem Mangla, Senior Most Additional Sessions Judge, Mohali as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

का. आ. 2055(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2155 (अ) के तहत पंचकुला स्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण हरियाणा राज्य था;

और जबकि, श्री रवि कुमार सोंधी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकुला, जिन्हें दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 15 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का. आ. 2370(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 15 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2370(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री गुलाब सिंह, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June , 2016

S.O. 2055(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2155(E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Panchkula as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Haryana for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Ravi Kumar Sondhi, District & Sessions Judge, Panchkula, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 2370 (E) dated the 15th September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th September, 2014, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 2370 (E) dated the 15th September, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana, hereby appoints Shri Gulab Singh, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

का. आ. 2056(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2153 (अ) के तहत चंडीगढ़ स्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ था;

और जबकि, श्री परमजीत सिंह, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़, जिन्हें दिनांक 15 जून, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 15 जून, 2015 की अधिसूचना सं. का. आ. 1566 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 15 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1566 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर श्री रंजीत कुमार जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-I, चंडीगढ़ को एतद्द्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2016

S.O. 2056(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2153(E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Chandigarh as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the Union Territory of Chandigarh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Paramjit Singh, Senior Most Additional Sessions Judge, Chandigarh, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1566(E), dated the 15th June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th June, 2015, has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1566(E), dated the 15th June, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana, hereby appoints Shri Ranjit Kumar Jain, Additional Sessions Judge-I, Chandigarh as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.